N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0226 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/10/2024 18:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 27/09/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/10/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:05 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/10/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/10/2024 18:59:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 86 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** karyalya khestriye prabandhan, ricco balotra

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** anil kumar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** devaram

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	chora, sanchore, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	chora, sanchore, सांचोर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	multan ram		पिता:nainsukh	1. kumharo ki dhani,jattipura,osian,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 40,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर। विषय- रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र श्री देवाराम जाति बिश्नोई, उम्र- 36 साल निवासी चौरा तहसील सांचौर जिला सांचौर का रहने वाला हूँ। मैं निर्माण कार्यों का ठेकेदारी का कार्य करता हूँ। मेरी स्वयं की फर्म साहू कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से है। रिको इकाई बालोतरा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय एवं तृतीय चरण में वृक्षारोपण हेतु खुला पार्क रीको के चार दीवारी मिट्टी भराई इत्यादि का मरम्मत कार्य हेतु निविदा नम्बर 03/2024-25 दिनांक 26.06.2024 को जारी की गई थी। उक्त निविदा की बोली दिनांक 15.07.2024 को खोली गई जिसके अनुसार अनुसार न्युनतम बिड दर -19.16 प्रतिशत मैसर्स पंचवटी कंसट्रक्शन कम्पनी द्वारा बोली बोली गई। पंचवटी फर्म को दिनांक 30.07.2024 को इस काम के लिए 9,24,144 रूपये का वर्कऑडर जारी किया गया था। उक्त काम शुरु कर 19.09.2024 तक पुरा करना था। उक्त काम करने हेतु मैंने मेरी फर्म साहू कंट्रक्शन कम्पनी के नाम पंचटवटी फर्म बिछावाड़ी से पेटी कॉन्ट्रेक्ट पर काम लिया था। जिसका मेरे पास एग्रीमेंट है। मैंने उक्त काम समय पर पुरा कर लिया था। मेरे द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम रनिंग बिल 5,50,661 रुपये कटौति के उपरान्त 4,69,087 रुपये का भुगतान दिनांक 10.09.2024 को किया गया था। शेष राशि 3,73,483 रुपये का मेरा भुगतान बकाया था, जो श्री मूलतान राम एईएन साहब रिको बालोतरा के पास पैंडिंग है। जिसको पास करने की एवज में श्री मूलतान राम ईएएन साहब मेरे एक लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर पेरशान कर रहे है। रिश्वत कर रहे है। रिश्वत नहीं देने पर मेरा का भुगतान नहीं कर रहे है तथा मुझे परेशान कर रहे है। मैं श्री मूलतान राम एईएन साहब रिको बालोतरा को मेरे जायज कार्य के बदल में रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। रिश्वत लेते हुए एईएन साहब को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे व एईएन साहब के आपस में किसी भी प्रकार की कोई रंजीश नहीं है तथा ना ही कोई रूपये पैसों का उधार बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हूँ, कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांक- 27.09.2024 संलग्र- 1. आधार कार्ड 2. एग्रीमेंट प्रति प्रार्थी एसडी (अनिल कुमार पुत्र श्री देवाराम) जाति बिश्नोई, निवासी चौरा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर, [redacted] कार्यावाही पुलिस दिनांक 27.09.2024, समय- 09.30 एएम को परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री देवाराम, जाति बिश्नोई, उम्र- 36 साल, निवासी चौरा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर ने कार्यालय हाजा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि मैं निर्माण कार्य का ठेकेदारी का कार्य करता हूँ, मेरे साहू कंट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्म रजिस्ट्रेशन है। रिको इकाई बालोतरा में खुले पार्क की चार दीवारी की मरम्मत एवं मिट्टी भराई का कार्य पंचवटी कंट्रक्शन कंपनी से मैंने पेटी कोन्ट्रेक्ट पर कार्य करने हेतु जरिए एग्रिमेंट कार्य किया था। जिसका भुगतान करीब 9,24,144 रूपये में से कटौतियां के पश्चात 4,69,087 रुपये का भुगतान मुझे कर दिया था। शेष 3,73,483 रुपये का मेरा बकाया भुगतान करने की एवज में मेरे से श्री मूलतान राम एईएन रिको बालोतरा द्वारा एक लाख रूपये रिश्वत में मांग रहे है। मैं श्री मूलताना राम को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे व एईएन साहब के आपस में किसी भी प्रकार की कोई रंजीश नहीं है तथा ना ही कोई रूपये पैसों का उधार बकाया है। परिवादी ने रिपोर्ट की स्वयं की हस्तलिखित होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। मैं श्री मूलतान राम एईएन साहब रिको बालोतरा को जालौर की एसीबी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिभाषा में आना पाया जाता है। प्रथमतः रिश्वत में राशी की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री कालूराम कानि. 477 को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तथा उपस्थित परिवादी श्री अनिल कुमार का परिचय श्री कालूराम कानि. 477 से करवाया जाकर उक्त दोनों के मोबाईल नम्बरों का आदान प्रदान कराया गया। श्री रविन्द्र कुमार सउनि कार्यालय हाजा से मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर परिवादी को ऑपरेट करना सिखाया गया। परिवादी को कहा गया कि बालोतरा पहुच श्री मुलतान राम से वार्ता कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी ने आज श्री मूलतान राम रिको कार्यलय बालोतरा में उपस्थित नहीं होना और स्वयं के घरेलु आवश्यक कार्य होने से बालोतरा पहुंच उपरोक्त वार्ता रिकॉर्ड करने में असमर्थता जाहिर की। जिस पर परिवादी श्री अनिल कुमार को अपने स्तर पर गोपनीय रूप से

मालूमात कर एईएन मूलतान राम के रिको कार्यालय बालोतरा में उपस्थित आने पर श्री कालूराम कानि. से आपस में सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कर वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को रुकसत किया। डिजिटल टेप रिकॉर्ड श्री रविन्द्र कुमार सउनि को सुपुर्द कर सुरक्षार्थ मालखाना रखवाया गया। दिनांक 29.09.2024, समय- 11.30 एएम को परिवादी श्री अनिल कुमार ने अब तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर वार्ता नहीं की है। मन् अतिरिक्त पुलिस प्रकरण सं. 308/2015 एवं परिवाद सं. 349/2019 में श्रीमान् उप महानिदेशक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से दिनांक 30.09.2024 को विचार विमर्श किया जाना प्रस्तावित है तथा गोपनीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना है। मालखान प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सउनि से डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री कालूराम कानि. 477 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि जब भी परिवादी श्री अनिल कुमार आपको गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु सूचित करे तब मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवा कर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखे। दिनांक 02.10.2024, समय- 12.30 पीएम को श्री कालूराम कानि. 477 कार्यालय हाजा में उपस्थित है, ने डिजीटल वॉइस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार परिवादी से जरिये मोबाईल पर वार्ता होने पर, मैं दिनांक 01.10.2024 को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड लेकर बालोतरा पहूंचा, जहां पर परिवादी श्री अनिल कुमार उपस्थित मिला तथा परिवादी ने श्री मुलतान राम एईएन अपने रिको कार्यालय में उपस्थित होना बताया। जिस पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु रिको कार्यालय बालोतरा की ओर रवाना किया गया तथा मन् कानि. रिको कार्यालय के पास ही अपनी पहचान छिपाते हुए परिवादी के वापस आने के इंतजार में व्यस्त रहा। करीब 15-20 मिनट बाद परिवादी श्री अनिल कुमार वापस आकर मन् कानि. के पास पहूंचा, जिस पर मन् कानि. ने पूर्व में सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉइस रिकार्ड परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि रवाना होकर रिको कार्यालय बालोतरा के भवन के प्रथम तल पर बने श्री मुलतान राम एईएन साहब के कार्यालय में गया जहां पर श्री मुलतान राम उपस्थित मिले। मैंने मेरे रिको बालोतरा के ओपन पार्क की चार दीवारी की मरम्मत कार्य इत्यादी का बकाया बिलों का भुगतान करने हेतु कहा तो पूर्व के बिलों की चर्चा करते हुए शेष भुगतान करने की एवज में श्री मुलतान राम ने मेरे से 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैंने 30,000 रूपये का कहा तो श्री मुलतान राम एईएन साहब ने कहा कि होगा नहीं, इत्यादि वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना बताया। जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर रिवर्स कर सुना तो उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। उपरोक्त वार्ता रिकार्ड होना तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर गवाहान की उपस्थिती में फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंय की अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 07.10.2024, समय- 09.45 एएम को परिवादी श्री अनिल कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि दिनांक 01.10.2024 को श्री कालूराम कानि. 477 डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बालोतरा उपस्थित आए। श्री कालूराम ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री मुलतान राम एईएन साहब से वार्ता कर वार्तालाप रिकॉर्ड कर लाने हेतु रिको कार्यालय बालोतरा की ओर रवाना किया। मैं रिको कार्यालय बालोतरा में श्री मुलतान राम के कार्यालय कक्ष में पहुंचा, वहां पर श्री मुलतान राम अपने कार्यालय में उपस्थित मिले। मैंने रिको बालोतरा के ओपन पार्क की चार दीवारी की मरम्मत कार्य इत्यादी का मेरे बकाया बिलों का भुगतान करने हेतु कहा तो पूर्व के बिलों की चर्चा करते हुए शेष भुगतान करने की एवज में श्री मुलतान राम ने मेरे से 40,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैंने 30,000 रूपये का कहा तो श्री मुलतान राम एईएन साहब ने कहा कि होगा नहीं, इत्यादि वार्तालाप डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होना बताया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस ने अपने कार्यालय कक्ष की अलमारी में से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डकर को निकाल कर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डकर को ऑन कर परिवादी की उपस्थिति में सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद होते हुए श्री मुलतान राम द्वारा रिश्वत राशि 40,000 रूपये की मांग की पुष्टी होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि श्री मुलतान राम ने मुझे शुक्रवार यानि दिनांक 04.10.2024 को रिश्वती राशि लेकर बुलाया है। जिस पर मैंने श्री मुलतान राम से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि मैं गांव चला गया हूँ और कहा कि आप सोमवार को कार्यालय में आ जाना। जिस मैंने उक्त वार्ता श्री कालुराम कानि. को बताई थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ने दिनांक 06.10.2024 को श्री आदुराम कानि. 142 को दो स्वतंत्र गवाहन को दिनांक 07.10.2024 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पांबद करने हेतु निर्देशित किया, ब्यूरो कार्यालय का स्टाफ उपस्थित है तथा परिवादी श्री अनिल कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित है। पूर्व में पाबंद शुदा गवाहन श्री कुलदीप कुमार छात्रावास अधीक्षक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित आऐ, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहान का परिचय प्राप्त किया गया तो क्रमशः श्री कुलदीप कुमार, हाल छात्रावास अधीक्षक, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, भाद्राजुण ढाणी, जिला जालौर तथा श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालौर, जिला जालौर होना बताया तथा दोनों गवाहान को उपस्थित आने के मंतव्य से अवगत करवाया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र

गवाह बनने हेतु सहमति चाही जाने पर दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की । उपस्थित परिवादी श्री अनिल कुमार से दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया एवं दिनांक 01.10.2024 को परिवादी श्री अनिल कुमार तथा संदिग्ध श्री मुलतान राम के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है, को सुनाया गया जिस पर वार्तालाप के मुख्यांश सुनने के पश्चात दोनो गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात परिवादी श्री अनिल कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेत कहा गया तो परिवादी अनिल कुमार ने 500-500 रुपये के 80 नोट कुल 40,000 रुपये अपने पास से निकाल कर प्रस्तुत किए। प्रस्तुत प्रत्येक नोट के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाए जाकर कार्यालय हाजा के मालखान से फिलोपथ्लीन पाउडर की शीशी श्री भरत सिंह चालक कानि. 501 से मंगाई जाकर उपरोक्त राशि के सभी नोटों को एक अखबार पर रखवाई जाकर राशि के प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिलोपथ्लीन पाउडर लगाया गया। सोडियम कार्बोनेट तथा फिलोपथ्लीन पाउडर की उपयोगिता के बारे में दृष्टांत देकर समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री कुलदीप कुमार से लिरवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु व दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए जाकर फिलोपथ्लीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 40,000 रूपये परिवादी के पहने हुए जिंस पेन्ट की बांयी जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को छुए नहीं तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री अनिल कुमार को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री मुलतान राम द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री मुलतान राम द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फैर कर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल 9413377107 पर कॉल या मिस-कॉल कर या ट्रेप-दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें । रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को जाब्ता की कमी होने व अन्य कोई चालक नहीं होने से ट्रेप पार्टी में शामिल कर हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेनदेन होने तक कार्यवाही से पृथक रहे । परिवादी, गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत दी जाकर फर्द पेशकशी रिश्वत में दी जाने वाली राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात मन् मांगी लाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री अनिल कुमार, स्वतंत्र गवाहन श्री कुलदीप कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार दोराता एवं ब्यूरो जब्ता सर्व श्री अरविन्द कुमार, निरीक्षक पुलिस, रविन्द्र कुमार सउनि, विक्रसिंह हैड कानि. 35, कालूराम कानि. 447, आदुराम कानि. 140, मोहनलाल हैड कानि. 93, मोटाराम कानि. 295 मय प्रकरण से संबंधित पत्रावली व ट्रेप बॉक्स व आश्यक सामग्री डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर लेपटॉप, प्रिंटर इत्यादी के जरिये निजी वाहनो से ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र.नि. ब्यूरो जालौर से बालोतरा की तरफ रवाना हुए, कार्यालय की निगरानी हेतु श्री बबन मिश्रा कानि. 110 को आवश्यक हिदायत दी जाकर मामूर कर पांबद किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के जरिये निजी वाहनों के राजकीय अस्पताल बालोतरा के पास स्थिति रिको कार्यायल के नजदीक पहुंचे। निजी वाहनों को एक तरफ खड़ा करवाया जाकर समस्त ब्यूरो जाब्ता को कार्यवाही में गोपनियता बरतने की आवश्यक हिदायत दी गई। निजी वाहन से परिवादी श्री अनिल कुमार को निचे उतार कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को ऑन कर सुपुर्द कर रिश्वती राशी लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर रिको कार्यालय बालोतरा की ओर रवाना किया गया। परिवादी श्री अनिल कुमार के पिछे पिछे श्री कालूराम कानि. एवं विक्रम सिंह हैड कानि. 36 आवश्य हिदायत देकर रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान को रिको कार्यालय के इर्द-गिर्द अपनी पहचान छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार करने में व्यस्त रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री अनिल कुमार रिको कार्यालय के प्रथम तल से रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने टेप रिकॉर्डर को ऑफ कर स्वयं के कब्जा लिया तथा परिवादी ने बताया कि श्री मुलतान राम का रिको कार्यालय में उपस्थित नहीं है मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि श्री मुलतान राम साईट पर गए हुए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान रिको कार्यालय के इर्द गीर्द से निजी वाहनों से रवाना होकर राजकीय अस्पताल के आस पास अपनी पहचान को छुपाते हुए आरोपी श्री मुलतान राम के उपस्थित आने के इंतजार में व्यस्त हुए। तत्पश्चात करीब 03.05 पी.एम. पर परिवादी श्री अनिल कुमार ने रिश्वती राशि के लेन-देन के पश्चात कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको, बालोतरा के सहायक स्थल अभियंता के कार्यालय कक्ष से बाहर कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको, बालोतरा के भवन प्रथम तल की सिढ़ीया से निचे आकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फैर कर एवं दाहिने हाथ का अंगुठा दिखाते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा किया। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप दल के सदस्यगण एवं स्वतंत्र गवाहान के शीघ्र ही हरकत में आकर रवाना होकर सिढीयों पर खड़े परिवादी श्री अनिल कुमार के पास पहूंचे। पूर्व में सुपुर्द

सुदा डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री अनिल कुमार से प्राप्त कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में लिया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के परिवादी श्री अनिल कुमार को हमरा लेकर कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक रिको, बालोतरा के कार्यालय भवन में स्थित सहायक स्थल अभियंता के कार्यालय कक्ष में पहुंचे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मोटाराम कानि. 295 के मोबाईल से विडियोग्राफी करने हेतु निर्देशित कर आवश्यक हिदायत दी। तत्पश्चात परिवादी ने सहायक स्थल अभियंता के कार्यालय कक्ष में टेबल कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता है, जिन्होने मेरे से मेरे बकाया बिलों को पास कर भुगतान करने की एवज में अभी-अभी मांग कर 40,000 रुपये प्राप्त कर अपने दोनों हाथों से गिन कर अपने सामने की टेबल की दाहिनी बनी दराज में रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना तथा स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप-दल के सदस्यों का परिचय देकर उक्त व्यक्ति को उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री मुल्तान राम पुत्र श्री नैनसुख राम, जाति कुम्हार, उम्र 29 साल, निवासी जाटीपुरा, पुलिस थाना ओसिंया, जिला जोधपुर, हाल सहायक स्थल अभियंता (सिविल), कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको बालोतरा, जिला बालोतरा होना बताया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने श्री मुल्तान राम को उपस्थित परिवादी श्री अनिल कुमार से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पुछा गया तो आरोपी श्री मुल्तान राम निरुत्तर रहा। तत्पश्चात आरोपी श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता की जामा तलाशी गवाह श्री कुलदीप कुमार से लिरवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई, एक मोबाईल फोन पाया गया जिसको चैक किया गया तो उसमें दो सीम क्रमश [redacted](Jio), [redacted](Vodafone) पाए गए। उसका मोबाईल फोन उसके पास ही रहने दिया। तत्पश्चात परिवादी श्री अनिल कुमार से प्राप्त रिश्वती राशि 40,000 रुपये बरामदगी बाबत् आरोपी श्री मुल्तान राम के कार्यालय कक्ष की दराज को गवाहन की उपस्थिति में खोला गया तो टेबल के दाहिनी तरफ बनी बीच की दराज में नोटों की गड्डी पाई गई। जिसे गवान श्री कुलदीप कुमार से दराज में से निकलवाए जाकर गिनवाए गए तो 500 रुपये के 80 नोट कुल 40,000 रुपये होना पाए गए। गवाह श्री सुरेन्द्र को पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी राशि सुपुर्द कर बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो प्रत्येक नोट के नम्बर फर्द पेशकशी के मुताबिक नंबर हुबहू होना पाए गए। गवाह को हिदायत दी गई कि उक्त नोट सील चिट होने तक संभालकर रखें। तत्पश्चात प्रक्रिया अनुसार हाथ-धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टीक के बड़े पारदर्शी डिस्पोजल दो गिलास मंगवाई जाकर उक्त दोनों गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त दोंनो गिलासों में पानी भरवाया गया तथा प्रत्येक गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया तो उक्त दोंनो गिलासों के घोल में कोई परिवर्तन नहीं आया जिसे उपस्थितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुल्तान राम के दाहिने हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन का मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक की दूसरी डिसपोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुल्तान राम के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन का मार्क एल.एच.1 व एल.एच.2 अंकित किया गया। उपयोग में लिए गए दोनों प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट किए गए। तत्पश्चात रिश्वती राशि सुरक्षार्थ स्वतंत्र गवाह श्री कुलदीप कुमार को पूर्व में सुपुर्द करवाई गई थी, उक्त रिश्वती राशि को पुनः गिनवाया जाकर पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर बरामदा रिश्वती राशि 500-500 रुपये के 80 नोट कुल राशि 40,000 रूपये (चालीस हजार रुपये) के नोटों के नम्बरों का मिलान करवाया गया तो पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहू मिलान होना पाया गया। नोटों के नम्बर निम्नांकित है- क्र.सं. नोट का मूल्य नोट के सीरियल नम्बर 1. एक पांच सौ रुपये का नोट 5GB 110212 2. एक पांच सौ रुपये का नोट 1HW 243396 3. एक पांच सौ रुपये का नोट 0GS 885905 4. एक पांच सौ रुपये का नोट 2MF 181778 5. एक पांच सौ रुपये का नोट 8UC 512214 6. एक पांच सौ रुपये का नोट 1FR 897508 7. एक पांच सौ रुपये का नोट 4KH 995863 8. एक पांच सौ रुपये का नोट 2BV 968051 9. एक पांच सौ रुपये का नोट 7PT 467835 10. एक पांच सौ रुपये का नोट 4NU 545425 11. एक पांच सौ रुपये का नोट 2GW 571963 12. एक पांच सौ रुपये का नोट 0DC 722901 13. एक पांच सौ रुपये का नोट 4RB 993947 14. एक पांच सौ रुपये का नोट 1NQ 324159 15. एक पांच सौ रुपये का नोट 9PF 603185 16. एक पांच सौ रुपये का नोट 0GD 424567 17. एक पांच सौ रुपये का नोट 0VP 576356 18. एक पांच सौ रुपये का नोट 3BM 074149 19. एक पांच सौ रुपये का नोट 2UK 963828 20. एक पांच सौ रुपये का नोट 2AM 901907 21. एक पांच सौ रुपये का नोट 3QW 739548 22. एक पांच सौ रुपये का नोट 9UN 372433 23. एक पांच सौ रुपये का नोट 0BP 507973 24. एक पांच सौ रुपये का नोट 3RA 342473 25. एक पांच सौ रुपये

का नोट 7UM 768779 26. एक पांच सौ रुपये का नोट 7UD 458071 27. एक पांच सौ रुपये का नोट 4PU 496863 28. एक पांच सौ रुपये का नोट 8QC 557586 29. एक पांच सौ रुपये का नोट 1FE 876524 30. एक पांच सौ रुपये का नोट 2KQ 083412 31. एक पांच सौ रुपये का नोट 0SQ 979536 32. एक पांच सौ रुपये का नोट 5HG 236067 33. एक पांच सौ रुपये का नोट 0DT 065112 34. एक पांच सौ रुपये का नोट 4DK 971049 35. एक पांच सौ रुपये का नोट 8RH 424081 36. एक पांच सौ रुपये का नोट 8TA 598925 37. एक पांच सौ रुपये का नोट 7FV 365910 38. एक पांच सौ रुपये का नोट 4QL 455883 39. एक पांच सौ रुपये का नोट 6BW 981530 40. एक पांच सौ रुपये का नोट 4PD 167397 41. एक पांच सौ रुपये का नोट 8BH 355025 42. एक पांच सौ रुपये का नोट 7PL 677075 43. एक पांच सौ रुपये का नोट 8LK 321062 44. एक पांच सौ रुपये का नोट 2EE 256261 45. एक पांच सौ रुपये का नोट 2UR 033408 46. एक पांच सौ रुपये का नोट 0GP 480471 47. एक पांच सौ रुपये का नोट 7WH 770055 48. एक पांच सौ रुपये का नोट 7GQ 593394 49. एक पांच सौ रुपये का नोट 4LL 630573 50. एक पांच सौ रुपये का नोट 5GA 926681 51. एक पांच सौ रुपये का नोट 1MV 308722 52. एक पांच सौ रुपये का नोट 6QA 322229 53. एक पांच सौ रुपये का नोट 2MA 929552 54. एक पांच सौ रुपये का नोट 2NF 870357 55. एक पांच सौ रुपये का नोट 4RK 387131 56. एक पांच सौ रुपये का नोट 8GE 326802 57. एक पांच सौ रुपये का नोट 9DU 702936 58. एक पांच सौ रुपये का नोट 5VU 567271 59. एक पांच सौ रुपये का नोट 3SN 649291 60. एक पांच सौ रुपये का नोट 2CV 305137 61. एक पांच सौ रुपये का नोट 0BR 634905 62. एक पांच सौ रुपये का नोट 6BL 162930 63. एक पांच सौ रुपये का नोट 4NA 620706 64. एक पांच सौ रुपये का नोट 1US 968553 65. एक पांच सौ रुपये का नोट 2DQ 658445 66. एक पांच सौ रुपये का नोट 9PF 833004 67. एक पांच सौ रुपये का नोट 3LF 214526 68. एक पांच सौ रुपये का नोट 9SA 862441 69. एक पांच सौ रुपये का नोट 9DN 237698 70. एक पांच सौ रुपये का नोट 5VA 452040 71. एक पांच सौ रुपये का नोट 4AT 603585 72. एक पांच सौ रुपये का नोट 8LS 760820 73. एक पांच सौ रुपये का नोट 5HA 694361 74. एक पांच सौ रुपये का नोट 8DE 811894 75. एक पांच सौ रुपये का नोट 7VU 844615 76. एक पांच सौ रुपये का नोट 5NG 240936 77. एक पांच सौ रुपये का नोट 4GH 126626 78. एक पांच सौ रुपये का नोट 8WM 823083 79. एक पांच सौ रुपये का नोट 9SP 762276 80. एक पांच सौ रुपये का नोट 1WV 366844 उपरोक्त बरामदा रिश्वती राशि 40,000 रूपये (अक्षरे चालीस हजार रुपये) को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाया जाकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M अंकित किया जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि 40,000 रूपये आरोपी श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता के कार्यालय कक्ष में रखी टेबल की दाहिने की तरफ की बीच की दराज में रखे दस्तावेजों पर रखी हुई, बरामद हुई है, उक्त रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में पिने का पानी का भरवाया जाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो, घोल का रंग रंगहीन रहा, तत्पश्चात एक कपड़े की चिन्दी को उक्त रंगहीन घोल में बारी-बारी से डूबोकर रिश्वती राशि बरामदगी स्थल दराज में रखे दस्तावेजों पर रगड़-रगड़ कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया। जिसे उपस्थितगण ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को काँच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर किया जाकर चैपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर धोवन का मार्क डी- 1 व डी- 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात बरामदगी स्थल के धोवन में प्रयुक्त कपड़े चिन्दी पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर चिन्दी को एक सफदे कपड़े की थैली में रखवाई जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए जाकर मौके पर सील मोहर कर मार्क C अंकित किया गया। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामद स्थल टेबल की दाहिनी तरफ बीच की दराज में रखे दस्तावेजों के उपर से रिश्वती राशि बरामद हुई, बाद धोवन उक्त दस्तावेज वर्क 5 को एक कपड़े की थैली में रखे जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाए जाकर सील मोहर किया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि लेनदेन दौरान परिवादी श्री अनिल कुमार तथा आरोपी श्री मुल्तान राम के मध्य रूबरू हुई वार्तालाप जो डीजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो लेन देन के दौरान वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री मुल्तान राम को परिवादी श्री अनिल कुमार द्वारा करवाए गए कार्य के एवज में भुगतान बाबत् दस्तावेजों के संबंध में पुछा गया तो आरोपी श्री मुल्तान राम ने उक्त कार्य से संबंधित दस्तावेजात ऑनलाईन तथा पत्रावली में होना बताया। जिस पर परिवादी के उक्त कार्य से संबंधित दस्तावेज कम्पुटर से प्रिंट करवा कर तथा पत्रावल की फोटो प्रतियां करवाई जाकर समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां पृष्ठ सं. 1 से 65 तक प्राप्त कर अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता को रिश्वती राशि 40,000 रूपये प्राप्त करने बाबत् पुछा गया तो पूर्ववत निरुतर रहा। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री अनिल कुमार ने बताया कि उसके द्वारा मैसर्स पंचवटी कंसट्रक्शन कंपनी को आवंटित कार्य रिको इकाई कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा द्वितीय एवं तृतीय चरण में वृक्षारोपण

हेतु ओपन पार्क के चार दीवारी आदि का मरम्मत कार्य हेतु निविदा सं. 3/2024-25 दिनांक 26.06.2024 को जारी की गई थी, उक्त निविदा की वित्तीय बोली दिनांक 15.07.2024 को खोली गई, जिसके अनुसार निम्नतम बिड दर 19.16 प्रतिशत मैसर्स पंचवटी कंसट्रक्शन कंपनी द्वारा दी गई, जिसके क्रम में उक्त संवेदक को इकाई कार्यालय बालोतरा दिनांक 30.07.2024 को इस कार्य हेतु 9,24,144 रुपये का कार्यदेश जारी किया गया। उक्त कार्य दिनांक 05.08.2024 एवं 19.09.2024 थी उक्त कार्य मेरे द्वारा संपादित किया गया। मेरे द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम रनिंग बिल 5,50,000 रुपये कटौतियों के उपरान्त 4,69,087 रुपये का भुगतान दिनांक 10.09.2024 को किया गया। शेष कार्य हेतु रुपये 3,73,483 रुपये का भुगतान किया जाना शेष था। उक्त शेष राशि का भुगतान करने हेतु श्री मुल्तान राम, सहायक स्थल अभियंता मेरे को बार-बार चक्कर कटवा रहा था तथा भुगतान करने की एवज में मेरे से रिश्वती राशि की मांग कर रहा था। दिनांक 01.10.2024 को श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता से वार्ता की गई तो शेष भुगतान की एवज में मेरे से 40,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की, जो आज मेरे से रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त कर दोनों हाथों से गिन कर अपने टेबल की दराज में रखी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए गए। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाहन की उपस्थिति में परिवादी की निशां देही पर घटनास्थल कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको, बालोतरा, जिला बालोतरा के सहायक स्थल अभियंता के कार्यालय कक्ष का गहनता से निरीक्षण किया जाकर फर्द नजरी नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल मिशल किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.10.2024 को आरोपी श्री मुल्तान राम, सहायक स्थल अभियंता रिको बालोतरा तथा परिवादी श्री अनिल कुमार के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रूबरू वार्तालाप तथा आज दिनांक 07.10.2024 को रिश्वती राशि लेनदेन के दौरान आरोपी श्री मुल्तान राम तथा परिवादी श्री अनिल कुमार के मध्य रूबरू हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्तालाप को लेपटॉप के जरिये श्री राकेश कुमार सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक रिको बालोतरा जिला बालोतरा को सुनाई जाकर आरोपी श्री मुल्तान राम की आवाज की पहचान करवाई जाकर फर्द आवाज पहचान पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित गणों के हस्ताक्षर करवाए गए। तत्पश्चात उक्त ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त शुदा मालखान आइटम क्रमश आरोपी श्री मुल्तान राम के दोनो हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठों का लिया गया धोवन मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी बरामदगी स्थल टेबल की दराज का लिया गया घोवन मार्क डी 1 व डी 2 शील्ड शुदा एवं रिश्वती राशि 40,000 रुपये एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मार्क एम, रिश्वत राशि के बरामदगी स्थल के धोवन में उपयोग में ली गई कपड़े की चिन्दी जो सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मार्क सी तथा रिश्वत राशि के बरामदगी स्थल टेबल की दराज में रखे दस्तावेज वर्क 5 सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट इत्यादी ट्रेप बॉक्स में रखवाई जाकर सुरक्षा की दृष्टि से मालखान प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सउनि सुपुर्द किया गया। आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से थानाधिकारी बालोतरा एवं जसौल को एक महिला कानि तथा एक मुख्य आरक्षक को आरोपी श्री मुल्तान राम के किराया का मकान माहेश्वरी भवन के पास, जसराज की पोल, बालोतरा में स्थित किराया के मकान पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी, दस्तयाब शुदा आरोपी मुल्तान राम, समस्त ब्यूरो स्टाफ, ट्रेपबॉक्स मय फर्दात् के मुताबिक मालखाना आईटम एवं आवयक सामग्री, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, प्रिंटर, लेपटॉप इत्यादि के निजी वाहन से रिको कार्यालय बालोतरा रवाना होकर कस्बा बालोतरा में मकान माहेश्वरी भवन के पास, जसराज की पोल, बालोतरा में स्थित किराया के मकान, मालिक पारसमल जसराज घांची के मकान पर पहुंचे। पूर्व में पाबंद शुदा महिला कानि. श्रीमती ईन्द्रा 751 थाना जसौल उपस्थित मिली। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहन व हमरायान के दस्ताब शुदा आरोपी श्री मुल्तान राम की उपस्थिति में आरोपी के किराये के मकान मालिक पारसमल जसराज घांची निवासी बालोतरा की श्रीमती इन्द्रा म.कानि. एवं आरोपी की पत्नी श्रीमती अंजली की उपस्थिति में नियमानुसार उक्त मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब की गई। महिला कानि. श्रीमती इन्द्रा 751 को रुकसत किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री कुलदीप कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता व परिवादी श्री अनिल कुमार, दस्तयाब शुदा आरोपी श्री मुल्तान राम, मय सर्व श्री अरविन्द कुमार नि.पु., रविन्द्र कुमार सउनि, विक्रमसिंह हैड कानि. 36, मोहनलाल हैड कानि. 93 आदुराम कानि. 142, कालुराम कानि. 477, मोटाराम कानि. 295, भरतसिंह चालक कानि. 501 के मय ट्रेपबॉक्स मय फर्दात् के मुताबिक मालखाना आईटम एवं आवयक सामग्री, डिजीटल वाईस रिकॉर्डर, प्रिंटर, लेपटॉप इत्यादि के निजी वाहनों से बालोतरा से रवाना होकर दिनांक- 08.10.2024, समय 12.15 एएम पर भ्र.नि. ब्युरो जालौर पहुंचा, आरोपी श्री मुल्तान राम की निगरानी हेतु श्री बबन मिश्रा कानि. 110 एवं श्री कालूराम कानि. 477 को हिदायत देकर मामूर किया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री अनिल कुमार के दिनांक 01.10.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मुल्तान राम के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकाई है, को कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग

से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप को कम्प्यूटर के माध्यम से दो पेन-ड्राईव में अपलोड करवाई जाकर दोनों पेन-ड्राईव को डब/क्लोन मानते हुए खुली रखी गई। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकाला जाकर एक लिफाफे में रखा जाकर, लिफाफे को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये आरोपी श्री मुल्तान राम व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अनिल कुमार द्वारा की गई।तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान एवं बमौजूदगी परिवादी श्री अनिल कुमार के दिनांक 07.10.2024 को परिवादी व आरोपी श्री मुल्तान राम के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान हुई रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड है, को कार्यालय हाजा के कम्पयूटर के माध्यम से परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन-सुन एवं सुनाकर श्री विक्रम सिंह हैड कानि. नं. 36 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त वार्तालाप की कम्प्यूटर के माध्यम से दो पेन-ड्राईव में अपलोड करवाई जाकर दोनों पेन-ड्राईव को डब/क्लोन मानते हुए खुली रखी गई। मूल डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को एक लिफाफे में रखा जाकर, लिफाफे को एक कपडे की थैली में डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर थैली पर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आरोपी श्री मुल्तान राम व स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अनिल कुमार द्वारा की गई। तत्पश्चात समय 04.30 एएम मन् मांगीलाल राठौड़, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो जालोर द्वारा आरोपी श्री मुल्तान राम पुत्र श्री नैनसुख राम, जाति कुम्हार, उम्र 29 साल, निवासी जाटीपुरा, पुलिस थाना ओसिंया, जिला जोधपुर, हाल सहायक स्थल अभियंता (सिविल), कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको बालोतरा, जिला बालोतरा को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) से नियमानुसार आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री मुल्तान राम की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो पहने हुए पारचात के अलावा उसके पास कोई आपत्तिजनक राशि वस्तु एवं दस्तावेज नहीं पाए गए तथा न ही ब्यूरो कब्जा ली गई। आरोपी श्री मुल्तान राम की गिरफ्तारी की सूचना उसके उसके बड़े भाई श्री जगदीश प्रजापत को उसके मोबाईल नंबर [redacted] पर दी गई । आरोपी का राजकीय हॉस्पीटल जालौर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पचात उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई समय समय पर श्री मोटा राम कानि. 295 के मोबाईल से विडीयोग्राफी करवाई गई, जो मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सेव है। उक्त मोबाईल के मोमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर कम्पयूर से जोड़ा जाकर विडीयोग्राफी की 2 डब/क्लोन पेन ड्राईव तैयार करवाई जाकर खुली हालात में रखवाई गई एवं मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाए गऐ। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त शुदा मालखान आइटम क्रमश आरोपी श्री मुल्तान राम के दोनो हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठों का लिया गया धोवन मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2 शील्ड शुदा तथा रिश्वती राशी बरामदगी स्थल टेबल की दराज का लिया गया घोवन मार्क डी 1 व डी 2 शील्ड शुदा एवं रिश्वती राशि 40,000 रुपये एक सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मार्क एम, रिश्वत राशि के बरामदगी स्थल के धोवन में उपयोग में ली गई कपड़े की चिन्दी जो सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मार्क सी तथा रिश्वत राशि के बरामदगी स्थल टेबल की दराज में रखे दस्तावेज वर्क 5 सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट तथा विडीयोग्राफी की मूल मेमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर शुदा एवं विडीयोग्राफी के दो डब/क्लोन पैन ड्राईव खुली हालात में इत्यादी को मालखान प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सउनि सुपुर्द किया गया, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मुल्तान राम पुत्र श्री नैनसुख राम, जाति कुम्हार, उम्र 29 साल, निवासी जाटीपुरा, पुलिस थाना ओसिंया, जिला जोधपुर, हाल सहायक स्थल अभियंता (सिविल), कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको बालोतरा, जिला बालोतरा द्वारा परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री देवाराम, जाति बिश्नोई, उम्र- 36 साल, निवासी चौरा, तहसील सांचौर, जिला सांचौर के औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा द्वितीय एवं तृतीय चरण में वृक्षारोपण हेतु ओपन पार्क के चार दीवारी आदि का मरम्मत कार्य हेतु रुपये 3,73,483 रुपये का भुगतान किया जाना शेष था। उक्त शेष राशि का भुगतान करने हेतु श्री मुल्तान राम, सहायक स्थल अभियंता परिवादी से रिश्वती राशि की मांग कर रहा था। दिनांक 01.10.2024 को श्री मुल्तान राम सहायक स्थल अभियंता से वार्ता की गई तो शेष भुगतान की एवज में परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की, जो दिनांक 07.10.2024 को परिवादी से 40,000 रुपये रिश्वत के रुप में मांग करना तथा रिश्वत राशि उसके टेबल की दराज में से बरामद होना। उपरोक्त कृत्य अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध घटीत करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । आरोपी का प्राप्त सेवा विवरण अनुसार नाम मुल्तान राम है । अतः आरोपी श्री मुल्तान राम पुत्र श्री नैनसुख राम, जाति कुम्हार, उम्र 29 साल, निवासी जाटीपुरा, पुलिस थाना ओसिंया, जिला जोधपुर, हाल सहायक स्थल अभियंता (सिविल), कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको बालोतरा, जिला बालोतरा के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें । भवदीय (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, जालोर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित

किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री मुल्तान राम पुत्र श्री नैनसुख राम, उम्र 29 साल, निवासी कुम्हारो की ढाणी जाटीपुरा, पुलिस थाना ओसिंया, जिला जोधपुर, हाल सहायक स्थल अभियंता (सिविल), कार्यालय क्षेत्रिय प्रबंधक, रिको बालोतरा, जिला बालोतरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 593 पर अंकित है। (ज्ञान सिहं चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1227-30 दिनांक 08-10-2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1-विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर-प्रथम । 2-प्रंबध निदेशक रीको उधोग भवन जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]0/2024

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)